।। कार्यालय कमाण्डेन्ट, 12वीं बटालियन आर0ए0सी0 (आई.आर.) ।।

तीसरी बटालियन दिल्ली आर्म्ड पुलिस, लाईन, बैरिक नम्बर 05, विकासपुरी, नई दिल्ली –1100018
Ph 011-28534395. FAX 011-28534395.Email ID- rac12ir@rediffmail.com, comdt12rac@gmail.com

क्रमांकः–न–5(7) आरएसी–12/बल/2025/97 दिनांक :–05.01.2026

आदेश

पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के विज्ञप्ति क्रमांक न–5( ) पु.फो./कानि भर्ती/2025/1360 दिनांक 09.04.2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1535 दिनांक 26.04.2025 के द्वारा 12वीं बटालियन आर.ए.सी. (आई.आर.) दिल्ली मे कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) पद के लिये विज्ञापित 79 पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989 एवं पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या 07/2025 मे निहित प्रावधानानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था।

उप महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक 5599 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा 12वीं बटालियन आरएसी (आईआर) दिल्ली की कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। लिखित परीक्षा मे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 5886 दिनांक 03.12.2025 के तहत गठित बोर्ड द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर मे दिनांक 08.12.2025 को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा आयोजित कर चयन सूची तैयार की गई, ज़िसका उप महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक 6060 दिनांक 15.12.2025 के द्वारा अनुमोदन किया गया।

निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण मे योग्य पाये जाने एवं चरित्र सत्यापन/शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/विशेष योग्यता/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/आर्थिक पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र इत्यादि के मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट मे किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नही होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम–16 के शैड्यूल–iv मे निहित प्रावधानानुसार रुपयें 14600/– (अक्षरेः–चौदह हजार छः सौ रुपयें मात्र) प्रतिमाह पर इन्हे दो वर्ष की परीविक्षा अवधि के लिए कॉन्स्टेबल (सामान्य) प्रशिक्षु पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

इन्हे नियत पारिश्रमिक (**Fixed Remuneration**) की राशि राज्य सेवा मे उपस्थिति/कार्यग्रहण की तिथि से देय होगी। परिवीक्षाकाल मे अन्य भत्ते (मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता व विशेष वेतन इत्यादि) देय नही होंगे तथा इस अवधि को सेवा अवधि मे वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जायेगा। इस अवधि मे सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार होगी।

यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989, राजस्थान सेवा नियम 1951 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन रहेगी।

क्रं सं.	रोल नं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	मूल वर्ग	चयन वर्ग	चयन सूची क्रमांक	जन्मतिथि	शिक्षा	स्थायी पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	310188867	अगन सैन पुत्र श्री पूरन सैन	ओबीसी	GEN M-11	34	02.10.2004	12वीं	ग्राम बगधारी, पोस्ट–पार, पुलिस थाना–सेवर, जिला–भरतपुर (राज.) पिन कोड–321303

उक्त अभ्यर्थी की कॉन्स्टेबल पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी:–

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–15(1)एफडी/नियम/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के शैड्यूल–iv (नियम–16) के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष मे नियमानुसार 15 दिन आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश, अवकाश लेखे मे जमा नही किया जायेगा।
2. महिला कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103 एवं 104 के तहत प्रसूति अवकाश देय होगा तथा पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103ए के तहत पितृत्व अवकाश देय होगा।
3. दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थाईकरण होने के पश्चात् स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–15(1)एफडी/नियम/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे–मेट्रिक्स लेवल–5 (सेल–1) मे वेतन 20800/–निर्धारण किया जाकर नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे तथा नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
4. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–5(5)एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 दिनांक 09.01.2021, आदेश क्रमांक एफ–5(5)एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 पार्ट–II दिनांक 07.07.2021, दिनांक 07.09.2021 एवं 19.04.2022 मे वर्णितानुसार आर.जी.एच.एस. योजना लागू होगी व नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
5. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–12(3)एफडी/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, जो नियमानुसार प्रभावी होगी।
6. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–13(3)एफडी/रुल्स/2001 दिनांक 04.10.2001, आदेश क्रमांक प–7(1)कार्मिक (क–2)/95/पार्ट जयपुर दिनांक 13.08.2004 के प्रावधानानुसार नियुक्ति के उपरान्त किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते है तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर राज्य सेवा से पृथक किया जायेगा।
7. विवाह मे दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति/पत्नी रखने, आपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजों मे विपरीत तथ्य तथा अन्य किसी भी प्रकार के नियम विरुद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति निरस्त कर राज्य सेवा से पृथक किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी को विवाहित होने की स्थिति मे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दहेज नही लिया/दिया का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण के दौरान तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद दो वर्ष के भीतर किसी भी कार्यवश पुलिस विभाग छोडता है, तो उसे पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/आदेशो मे वर्णित नियमानुसार प्राप्त पारिश्रमिक एवं प्रशिक्षण व्यय की राशि राजकोष मे जमा करानी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य विभाग मे नियुक्ति हेतु आवेदन किया हुआ है तो वे अभ्यर्थी ड्यूटी ज्वाईन करने से एक माह की अवधि मे आवेदन के संबंध मे सूचना आवश्यक रुप से इस कार्यालय मे देंगे अन्यथा सूचना नही देने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

10. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों मे कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 1360 दिनांक 09.04.2025 के बिन्दु संख्या–7 मे अंकितानुसार किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

11. अभ्यर्थी को 500/– रुपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर एक बन्ध पत्र कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/परगना अधिकारी/तहसीलदार मे से किसी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। बन्ध पत्र के अनुसार आर.ए.सी. मे प्रशिक्षण अवधि समाप्ति की दिनांक से 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस अवधि से पूर्व इस कार्यालय की बिना अनुमति अन्य नियोजन स्वीकार करने/त्यागपत्र देने/फरार होने/गैरहाजिर होने पर वास्तविक प्रशिक्षण खर्च की राशि एवं प्राप्त किये गये वेतन भत्तों की राशि को राजकोष मे जमा करवाना होगा। ड्यूटी से फरार होने पर बिना किसी नोटिस के राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है। **(प्रारुप संलग्न है)**

12. आर.ए.सी. एक्ट की धारा (4) मे वर्णित प्रावधानानुसार इकरारनामा (पुलिस सेवा बॉण्ड) अनिवार्य रुप से पृथक से 50/– रुपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। **(प्रारुप संलग्न है)**

13. उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी (i) दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपडे इत्यादि(ii) मैस एडवान्स राशि 5000/– (iii) कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 3000/– (iv) 10 पासपोर्ट साईज नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (iv) बैंक की पासबुक (v)संलग्न निर्धारित प्रारुप अनुसार बन्धपत्र, शपथ पत्र साथ लेकर **दिनांक 06.01.2026 तक** कार्यालय कमाण्डेन्ट, 12वीं बटालियन आरएसी (आई.आर.) विकासपुरी नई दिल्ली पर आवश्यक रुप से उपस्थिति देंगे। **निर्धारित तिथि तक उपस्थिति नही देने पर यह मानते हुए कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नही है, आपका नाम चयन सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।**

14. ड्यूटी ज्वाईनिंग के प्रयोजनार्थ इन्हे किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

15. आरएसी मे कॉन्स्टेबल पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण है। जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं से उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है, उनका सत्यापन नही हो पाया है। सत्यापन होने के पश्चात् संबंधित की सेवा पुस्तिका मे इन्द्राज कर दिया जावेगा।

16. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास एवं शिक्षा प्रमाण पत्रों अन्य सभी दस्तावेजों के प्रमाणीकरण, सत्यापन जॉच के अध्यधीन होगा। उपरोक्त सत्यापन जॉच मे कोई गलत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाकर अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

17. संबंधित चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज या नियमानुसार की गई घोषणाओं मे कोई भी तथ्य छुपाया जाना पाये जाने, निर्धारित परीविक्षा अवधि मे इनकी सेवाऐं संतोषजनक नही पाये जाने तथा प्रस्तुत शपथ पत्र/घोषणा पत्र गलत पाये जाने पर इनकी सेबाऐं तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

आदेश पंजिका बद्व हो (ईओबी कमांक 03 **दिनांक** 05/01/2026)

5/1/26

(केवल राम, IPS)
कमाण्डेन्ट,
12वीं बटालियन आरएसी (आईआर)
विकासपुरी नई दिल्ली–18

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स्/प्रशिक्षण/भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस0सी0आर0बी0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नियुक्ति आदेश को शीघ्र राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
   संलग्नः–नियुक्ति आदेश
2. डिप्टी कमाण्डेन्ट/एडज्यूडेन्ट/क्वार्टर मास्टर, 12वीं बटालियन आरएसी (आईआर) विकासपुरी नई दिल्ली ।
3. समस्त सहायक कमाण्डेन्टस्/कम्पनी कमाण्डर मुख्यालय स्टॉफ, 12वीं बटालियन आरएसी (आईआर) दिल्ली/देबारी उदयपुर।
4. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, एम ब्लॉक, विकासपुरी दिल्ली को भेजकर लेख है कि उक्त नव नियुक्त कानिस्टेबल का बैंक खाता खोलकर 'राजस्थान पुलिस सैलेरी पैकेज' में जोडा जावें।
5. प्रभारी लेखा शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थी के बैंक खाता खुलवाया जाकर उसे 'राजस्थान पुलिस सैलेरी पैकेज' मे जुडवाये तथा एम्पलॉई आईडी एवं प्राण नं. अतिशीघ्र जारी कराना सुनिश्चित करे।
6. सुबेदार एडज्यूडेन्ट, 12वीं बटालियन आरएसी (आईआर) दिल्ली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी के बटालियन मुख्यालय पर उपस्थित होते ही उनकी उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवावें तथा अभ्यर्थी की आमद, आवास एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
7. समस्त शाखा प्रभारी, 12वीं बटालियन आरएसी (आईआर) दिल्ली।
8. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली/राजकाज।
9. संबंधित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्तानुसार निर्देशो के अनुसार **दिनांक 06.01.2026 तक** बटालियन मुख्यालय, विकासपुरी नई दिल्ली पर अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे।

5/1/26

कमाण्डेन्ट,
12वीं बटालियन आरएसी (आईआर)
विकासपुरी नई दिल्ली–18